पत्र सं0–स्था–3(क)–चतुर्थ श्रेणी संघ/2022–23/ 3492 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उ0प्र0
(स्थापना अराजपत्रित)
लखनऊ : दिनांक– ~~अक्टूबर~~, 2022 07, नवम्बर

समस्त अपर आयुक्त ग्रेड–1,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया उप सचिव, राज्य कर अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के माध्यम से प्राप्त महामंत्री, उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ की 15 सूत्रीय मांगों एवं समस्याओं के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में ज्ञापन संख्या–90/संघ/022 दिनांक 14.08.2022 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

अवगत कराना है कि विभाग में चतुर्थ श्रेणी (सेवक) के पद पर कार्यरत कार्मिकों की अंतिम ज्येष्ठता सूची जारी नहीं है। ऐसी स्थिति में उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता सूची नियमावली 1991 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी (सेवक) के कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची जारी किया जाना अपेक्षित है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि विभाग में दिनांक 30.09.2022 तक मौलिक रूप से नियुक्त तथा आपके जोन के अन्तर्गत कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों का संकलित सेवा विवरण निम्न प्रारूप में दिनांक 30.11.2022 तक जोनवार संकलित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि संकलित सूची अनन्तिम रूप से जारी करते हुए नियमानुसार अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की जा सके।

(विभाग में दिनांक 30.09.2022 तक कार्यरत समस्त चतुर्थ श्रेणी (सेवक) का विवरण)

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति/उपजाति	जन्मतिथि	गृह जनपद	नियुक्ति के आदेश का दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	स्थाईकरण की तिथि	यदि सेवकों की पदोन्नति चतुर्थ श्रेणी के किसी पद यथा बण्डल लिफ्टर/दफ्तरी आदि के पद पर हुए हैं तो उसका आदेश संख्या व दिनांक भी अंकित किया जाय	वर्तमान तैनाती	नियुक्ति का प्रकार (सीधी भर्ती/मृतक आश्रित	विकलांगता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

स्मरण रहे कि उपरोक्त वांछित सूचना में संग्रह सेवक तथा संविदा /दैनिक वेतन भोगी एवं तदर्थ रूप से कार्यरत कार्मिकों का सेवा विवरण कदापित सम्मिलित न किया जाये।

<u>उक्त सूचना एम0एस0 एक्सल फाइल में केवल क्रुति देव–10 फान्ट में ही फीड करवाते हुए हार्ड कॉपी के साथ–साथ उसकी साफ्ट कॉपी समस्त डाटा पेनड्राइव में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।</u>

कृपया यह भी सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त वांछित सूचना प्रेषित करते समय यदि कोई चतुर्थ श्रेणी (सेवक) विकलांग श्रेणी में है तो उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ–13 में उसकी विकलांगता के प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेख करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति सहित सूचना उपलब्ध करायें।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त, राज्य कर
प्रभार– अपर आयुक्त (प्रशासन), राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
2. महामंत्री, उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।

संयुक्त आयुक्त (स्था0अरा0), राज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

संख्या–1185 / 11–3–2022–72 / 07 टी0सी0

प्रेषक,

सुनील यादव,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर
उ0प्र0 लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग–3 लखनऊ::दिनाँक::21 सितम्बर, 2022

विषयः उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी, राज्य कर्मचारी संघ की 15 सूत्रीय मॉगों एवं समस्याओं के त्वरित निस्तारण के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक श्री सुरेश सिंह यादव, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी, राज्य कर्मचारी संघ के पत्र दिनांक 14–08–2022 की छायाप्रति को संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पत्र में किये गये अनुरोध पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक::यथोक्त।

भवदीय,

(सुनील यादव)
उप सचिव।

अपर आयुक्त (प्र०)

22·9·22

1723

23-9-2022

407

संगठन

कर्मचारी एकता जिन्दाबाद !! 1105/11-3-22 संघे शक्तिः सर्वदा

उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ

(उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश
राजाज्ञा ST. 1485 / X 198 (D) / 1956

संजय कुमार तिवारी
प्रदेश अध्यक्ष
कैम्प कार्यालय कानपुर
मो0-08004927751

सुरेश सिंह यादव
प्रदेश महामंत्री
प्रदेश कैम्प कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
फैक्स नं0-0522-2721153, मो0-09839227068

पत्रांक 90/संघ/022

दिनाँक 14-8-2022

ज्ञापन

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव, राज्य कर
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

विषय: संघ की 15 सूत्रीय मांगो एवं समस्याओं के त्वरित निस्तारण कराने के सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय,

संघ आपका मानवीय ध्यान उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कराना चाहता है कि संघ द्वारा बराबर आपसे अनुरोध करने के बावजूद एवं शासन स्तर से निर्देश प्राप्त होने के बावजूद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

अतः संघ का आपसे सादर अनुरोध है कि उपरोक्त 15 सूत्रीय मांग पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये समस्त बिन्दुओं पर अलग-अलग आदेश निर्गत करने की कृपा करें, जिससे कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण हो सके।

इसके लिए संघ आपका आभारी रहेगा।

भवदीय,

(सुरेश सिंह यादव)
प्रदेश महामंत्री

वि. स. (SRM)
[signature]
(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव
राज्य कर विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।
24/8/2022

सादर
1331/VS/SS/22
DS(S)
22-8-22
(सर्वज्ञ राम मिश्र)
विशेष सचिव
राज्य कर विभाग
उ० प्र० शासन।

S.O-3
23-08-22

मांग-पत्र

1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दिनांक 01-01-2006 से ग्रेड वेतन रु0 1800/- अनुमन्य होने पर दिनांक 30-11-2008 से पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश सं0-वे0आ0-2-627/10-2007-44/2001 टीसी दिनांक 21 जून 2007 में दी गयी समयमान वेतनमान की व्यवस्था में दी गयी अगले वेतनमान में अगला वेतनमान देने की व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01-01-2006 को मूल ग्रेड वेतन रु0 1800/- होने पर प्रथम पदोन्नति वेतनमान/ग्रेड वेतन रु0 1900/- (इग्नोर कर) अगला वेतनमान/ग्रेड वेतन रु0 2000/- एवं द्वितीय प्रोन्नति/ग्रेड वेतन रु0 2400/- (इग्नोर कर) को छोड़कर रु0 2800/- दिया तथा दिनांक 01-12-2008 से लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति (ए0सी0पी0) का तृतीय लाभ ग्रेड वेतन रु0 4200/- दिया जाय। वेतन संशोधन उच्चीकरण के अन्तर्गत 5200-20200 ग्रेड वेतन रु0 1800/- के स्थान पर प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 5200-202000 ग्रेड वेतन रु0 1900/- दिया जाये। पुनः निर्देश जारी किया जाय।

2. चतुर्थ श्रेणी से बाइन्डर लिफ्टर/दफ्तरी के रिक्त पदों पर पदोन्नति की जाये।

3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से ड्राइवर के पदों पर की गयी विसंगतियों का निराकरण कराया जाए- चतुर्थ श्रेसी से ड्राइवर के पदों पर की गयी पदोन्नतियों में संग्रह सेवकों की पदोन्नतियां कर दी गयी हैं जो नियम विरुद्ध हैं। संग्रह सेवकों को संग्रह अमीन पद पर पदोन्नति का प्राविधान है, परन्तु ड्राइवर नियमावली जो सन् 2011 में प्रख्यापित हुई है उसमें मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ही पदस्थापित किया जाना प्राविधानित है, लेकिन इन प्राविधानों से हटकर संग्रह सेवकों को ड्राइवर के पद पर पदस्थापित किया गया है जिसमें असन्तोष व्याप्त है। असन्तोष को दूर कराने हेतु प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाय। चतुर्थ श्रेणी से 20 प्रतिशत कोटा पूरा किया जाय तथा वाहन चालक के 459 पद स्वीकृत हैं जिस पर 20 प्रतिशत कोटे के हिसाब से 93 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के होते हैं, इसको पूर्ण किया जाय तथा जब संग्रह सेवकों को सभी कोटों में पदोन्नति दी जाती है तो अमीन के पद पर सेवकों की भी पदोन्नति की जाय, नहीं तो निष्पक्ष जांच करके की गयी नियम विरुद्ध पदोन्नतियां निरस्त की जाय तथा कार्मिक विभाग से पदोन्नति हेतु मार्ग दर्शन प्राप्त कर लिया जाय।

4. चतुर्थ श्रेणी का पदनाम बदलकर कार्यालय सहायक पदनाम किया जाये।

5. चतुर्थ श्रेणी से 20 प्रतिशत कोटा कनिष्ठ सहायक के पद पर किया जाय। वाणिज्य कर विभाग में 1974 विभागीय नियमावली के तहत पदोन्नति की जाए तथा सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, मण्डी परिषद तथा अन्य विभागों में

क्रमशः..........2

उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पदोन्नति करते हुये छः माह का समय प्रदान किया गया है। उक्त की भांति पदोन्नति की कार्यवाही की जाए। वर्णित शासनादेश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए टंकण ज्ञान 20 की स्पीड का मानक को प्राथमिकता दी जाए। उक्त के सम्बन्ध में शीतलीकरण प्रस्ताव कार्मिक विभाग को विभागीय संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया।

6. विभाग में पूर्व सेवा जोड़कर पेंशन लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को शासनादेश के अनुसार 22/03/2016 को विभाग में विनियमितकरण किया गया था एवं 44 कर्मचारी को माननीय उच्चतम न्ययालय के आदेश से समायोजित किया गया तथा मा0 न्यायालय एवं शासनद्वारा जारी शासनादेश सं0-17/2019/सा-3-346/दस-2019 -933/89 दिनांक 30-04-2019 द्वारा जारी शासनादेश के अनुपालन में विभाग में तैनात उक्त कर्मचारियों को पूर्व सेवा जोड़कर पेंशन एवं ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाये।

7. वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कर्मचारियों को देय वेतन में असमानता दूर किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय को त्वरित कार्यवाही के निर्देश देने के समस्त एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 एवं आहरण वितरण अधिकारी को निर्देश जारी किया जाय।

8. मुख्यालय सहित जोन कार्यालय की पूर्व सेवापुस्तिका के साथ इन्ट्री रोल बनाये जाने के आदेश दिये गये थे, लेकिन मुख्यालय सहित जोन स्तर पर भी इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसे वार्षिक प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में चिपकाने से सेवापुस्तिका फटती जा रही है, जिसके सम्बन्ध में पुनः आदेश किये जाये।

9. सचल दल/एस0आई0बी0 एवं पार्ट टाइम सफाई कर्मियों को नियमित किया जाये-जोन/परिक्षेत्रों में पल्लेदारों के रूप में सहायता केन्द्रों पर पूर्व में कार्य कर रहे कर्मचारियों एवं सचल दल इकाईयों में कार्य कर रहे पल्लेदार के रूप में एवं पार्ट टाइम सफाई कर्मी जोन स्तर पर काफी संख्या में कार्य कर रहे हैं। सरकार द्वारा वर्ष 2002 तक सभी कर्मचारियों को नियमित किये जाने के आदेश किये गये थे तथा समस्त जोनों में ऐसे रूप में कार्य कर रहे कर्मचारियों की सूची मंगाकर उनका नियमितीकरण किये जाने के आदेश निर्गत किये जायें।

10. विभाग में सुरक्षा कार्यों हेतु पी0आर0डी0 के जवानों की तैनाती करवायी जाय-विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र तथा जोनल कार्यालयों में एजेन्सियों द्वारा सुरक्षा गार्डों की तैनाती की जा रही है। कृपया मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0-1034/पचास-मु0 के0-2012-98 पीवीडी/97 दिनांक 12 जुलाई 2012 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु जहां परिपत्र जारी किये जाय वहीं पर सुरक्षा कार्यों पर पी0आर0डी0

क्रमशः..........3

के जवारों की तैनाती सुनिश्चित करायी जाये। इस सम्बन्ध में सुरक्षा कार्यों हेतु पी0आर0डी0 जवानों की तैनात करने हेतु समस्त एडिशनल ग्रेड-1 को पुनः निर्देशित किया जाय।

11. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची बनायी जाय। विभाग में वर्ष 2001 में तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर उ0प्र0 द्वारा ज्येष्ठता सूची बनवाई गयी थी, उसके पश्चात संघ द्वारा कई अनुरोध करने के बाद भी प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची नहीं बनाई गयी है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पटलों एवं समस्त जोनल एडिशनल कमिश्नर से सूचना मंगवाकर ज्येष्ठता सूची बनवाई जाय।

12. सेवानिवृत्त के कगार पर एक जनपद से दूसरे जनपद किये गये स्थानान्तरण को निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था जिस सम्बन्ध में मुख्यालय द्वारा कई बार आदेश के बावजूद मुख्यालय के आदेशों को जोनल अधिकारी नहीं मानते। पुनः अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में समस्त एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 को निर्देशित किया जाय कि मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन समय रहते निस्तारण किया जाय।

13. मुख्यालय सहित प्रदेश में तैनात समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्दी नहीं दी गयी थी, जबकि तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर के आदेश के बावजूद अभी तक वदी नहीं दिलाई गयी है, जिनको वर्दी दिलाई जाय।

14. मुख्यालय पर समस्त जोन से डाक लाने वाले पत्रवाहकों को यात्रा भत्ता भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे अल्पवेतनभोगी कर्मचारी होने के नाते आर्थिक परेशानी होती है। इस सम्बन्ध में पूर्व में सभी जोन में एडवांस भुगतान किया जाता था, लेकिन कुछ जोन छोड़कर इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। कुछ जोनों के पत्रवाहकों को विलम्भ से डाक मिलने के कारण उनकी ट्रेने छूट जाती हैं जिससे उनको बस की यात्रा करनी पड़ती है तथा बस द्वारा किये गये यात्रा भत्ते का भुगतान कराया जाय और इस सम्बन्ध में समस्त एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 को निर्देश जारी किया जाय।

15. विभागीय भवनों में मरम्मत एवं पुताई समय से नहीं हो रही करोड़ों रुपये खर्च हो जाने के बावजूद भी अभी विभागीय भवन की हालत जर्जर है। इसकी निष्पक्ष जांच करा ली जाय। विभागीय भवनों में बाहरी लोग निवासित हैं उनको तत्काल हटाया जाय।

ह0	
(संजय कुमार तिवारी)	(सुरेश सिंह यादव)
प्रदेश अध्यक्ष	प्रदेश महामंत्री